

श्री उदय कृष्ण, अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक-30.06.14 को 12:00 बजे मध्याह्न डॉ० राधा कृष्णन भवन, मोतिहारी में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र, रक्सौल एवं मोतिहारी शहर में जाम की समस्याओं से निपटने हेतु की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति

पंजी के अनुसार।

जिला पदाधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण यह बैठक श्री उदय कृष्ण, अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

रक्सौल एवं मोतिहारी शहर में सड़क जाम की समस्या के समाधान की दिशा में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र०	विषय	अनुपालन/निदेश
1	बलुआ चौक पर जाम की स्थिति	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी द्वारा बताया गया कि बलुआ चौक पर रोड के दोनों तरफ गड्ढे में 75 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है, परन्तु पेड़ की कटाई नहीं हो पाई है। निदेश दिया गया कि शीघ्र इस कार्य को पूर्ण कराया जाय। (अनु०-इरकॉन कंपनी के प्रतिनिधि/पथ निर्माण विभाग/वन विभाग)
2	बलुआ चौक से कचहरी गोलम्बर तक अतिक्रमण एवं टैम्पो हटवाना। कचहरी चौक के पास रजाई, तोसक, पेटी की दूकानें सजती हैं तथा टैम्पो से जाम की स्थिति में सुधार।	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारंभ किया गया है, परन्तु वह पूर्ण नहीं है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि टैम्पो पड़ाव बोर्ड लगाने का कार्य दो दिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से वाहन जॉच की कार्रवाई की जा रही है और जॉच के दौरान वाहन मालिकों से दंड स्वरूप राशि की वसूली की जा रही है। (अनु०-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी/जिला परिवहन पदाधिकारी)
3	इरकॉन कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा होमगार्ड जवान की प्रतिनियुक्ति की मांग बलुआ ट्राफिक कंट्रोल के लिए किया गया।	इरकॉन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 10 गृहरक्षकों के भुगतान हेतु उनके द्वारा अपने उच्च पदाधिकारियों से निदेश की मांग की गई है। निदेश प्राप्त होने के पश्चात् गृहरक्षकों का भुगतान एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में आगे की कार्रवाई की जायेगी। (अनु०-जिला समादेष्टा, होमगार्ड, मोतिहारी/इरकॉन कम्पनी)
5	टैम्पो स्टैंड का पड़ाव स्थल निर्धारित कर बोर्ड लगाने की व्यवस्था।	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारंभ किया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले कुछ दिनों में छतौनी/मीनाबाजार/बलुआ/कचहरी चौक पर टैम्पो स्टैंड का साइन बोर्ड लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। (अनु०-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी)

क्र०	विषय	अनुपालन/निदेश
6	मीना बाजार गांधी चौक से टेम्पो पड़ाव हटाने की व्यवस्था।	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में जल्द कार्रवाई करते हुए सारे कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। (अनु०-कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, मोतिहारी)
7	गांधी चौक, मीना बाजार में गांधी जी के मूर्ति के उपर हाई मास्क लाईट एवं साफ-सफाई की व्यवस्था।	श्री देव प्रिय मुखर्जी, रोटरी क्लब, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि इसके रख-रखाव के लिए इसे नगर परिषद को हस्तान्तरित कर दिया जाए। इस संबंध में नगर परिषद से विधिवत् प्रस्ताव की मांग की गई। (अनु०-कार्य०पदा०, नगर परिषद, मोतिहारी/श्री देव प्रिय मुखर्जी, रोटरी क्लब, मोतिहारी)
8	छत्तौनी के आस पास रोड के गड़दा को भरकर मोटरेबुल बनाने की व्यवस्था।	तांतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वहाँ पर गड़दों में मिट्टी भराई का कार्य किया गया, किन्तु अभी भी कार्य शेष है। इसे पूरा किया जाना है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विगत कुछ दिनों में उनके पास निधि की अनुपलब्धता की स्थिति थी। अब यह स्थिति समाप्त हो गई है और आगामी कुछ दिनों में कम्पनी की आन्तरिक बैठक में कार्य योजना तैयार कर इस कार्य को पूर्ण कराया जायेगा। (अनुपालन- तांतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी)
9	पीपराकोठी से रक्सौल एन० एच० पर रोड टूटा है जिसे मोटरेबुल बनाने की व्यवस्था।	पथ निर्माण विभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इस संबंध में समीक्षा नहीं की जा सकी। (अनु०- कार्य० अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी)
10	अरैराज-बैतिया रोड एवं मनोकामना मंदिर से रक्सौल नेपाल जाने वाली रोड को मोटरेबुल बनाने की व्यवस्था।	पथ निर्माण विभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इस संबंध में समीक्षा नहीं की जा सकी। (अनु०- कार्य० अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी)
11	नेपाल जाने वाली सड़क से रक्सौल में ट्राफिक जाम की व्यवस्था में सुधार।	पथ निर्माण विभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इस संबंध में समीक्षा नहीं की जा सकी। अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा बताया गया कि कस्टम विभाग द्वारा इस दिशा में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल को भी अगली बैठक में बुलाया जाय। (अनु०-कार्य० अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी)
12	रक्सौल बॉर्डर पर भू-अर्जन से संबंधित मामले का निष्पादन।	तांतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन का कार्य चल रहा है। अभी वहाँ काफी जल जमाव हो गया है और बरसात के बाद ही कार्य कराया जा सकेगा। (अनु०-जिला भू-अर्जन पदा०/तांतिया कंस्ट्रक्शन, रक्सौल)

क्र०	विषय	अनुपालन/निदेश
13	वृद्धा आश्रम	मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि जुलाई, 2013 में ही राजस्व शाखा को भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिससे वृद्धा आश्रम के निर्माण में कठिनाई हो रही है। <b>(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला राजस्व शाखा)</b>
14	अन्यान्य	मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि शहर में वैंडिंग जोन के निर्माण हेतु 3.05 एकड़ जमीन नगर भवन के ठीक सामने उपलब्ध है, जो अतिक्रमित है। जिला राजस्व शाखा को अतिक्रमण हटाने हेतु कई बार लिखा गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद ही शहर में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। बैठक में यह भी सुझाव आया कि शहर में सड़क के किनारे गिट्टी एवं बालू रख दिया गया है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को निदेश दिया गया कि वे उसे शीघ्र हटवाना सुनिश्चित करें तथा अधिनियम के अनुसार दंड राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। <b>(अनुपालन-कार्य०पदा०, नगर परिषद, मोतिहारी)</b>

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

*04/07/2014*  
अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच)  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 1314 / गो०, दिनांक- 04/07/14

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोतिहारी/रक्सौल, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि सहायक समाहर्ता, कस्टम, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ।

*04/07/2014*  
अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच)  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 1314 / गो०, दिनांक- 04/07/14

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

*04/07/2014*  
अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच)  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।